राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास

पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

मंदिर श्री सीताराम जी
विराजमान ग्राम तूंगा जरिये
वाद–मित्र पुजारीगणः–

1. राधामोहन (फौत)
   1/1 शकुन्तला बेवा राधामोहन
   1/2 गोपाल पुत्र राधामोहन
   1/3 जितेन्द्र पुत्र राधामोहन
   1/4 मनिषा पुत्री राधामोहन
   1/5 अंजनी पुत्री राधामोहन
2. सूरजमल पुत्र श्रीनारायण
3. हरिशंकर दत्तक पुत्र नाथूलाल
4. रामबाबू पुत्र रूपनारायण
5. पूरणमल
6. रमेश पुत्र कन्हैयालाल
7. मूलचन्द (फौत)
   7/1 बजरंग लाल पुत्र मूलचन्द
   7/2 मंजू देवी पत्नि रामकिशोर
   7/3 अनुराधा पुत्री मूलचन्द
   7/4 मेनिका पुत्री रामकिशोर
8. ईसरमल (फौत)
   8/1 रामकल्याण पुत्र ईसरमल
   8/2 गोपाल पुत्र ईसरमल
   8/3 रामज्यानकी पुत्र ईसरमल
   8/4 बाई पुत्री ईसरमल
   8/5 विमला पुत्री ईसरमल
9. सत्यनारायण पुत्रान छोटीलाल
   समस्त जातियान ब्राह्मण स्वामी निवासीयान ग्राम तुंगा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. सुनील कुमार दत्तक पुत्र रामसहाय
2. नाथूलाल पुत्र विजयनारायण (फौत)
   2/1 श्यामलाल पुत्र नाथूलाल
   2/2 रिंकू पुत्र नाथूलाल
   2/3 कविता पुत्री नाथूलाल
   2/4 अनिता पुत्री नाथूलाल
3. जगदीश पुत्र भौंरीलाल (फौत)
   3/1 विष्णु पुत्र जगदीश
   3/2 हनुमान पुत्र जगदीश
   3/3 सुजी देवी पुत्री जगदीश
   3/4 निर्मला पुत्री जगदीश
   समस्त जाति ब्राह्मण स्वामी निवासी ग्राम वार्ड नं 12, सीतारामजी के मन्दिर के सामने ग्राम तूंगा, तह बस्सी जिला जयपुर।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी।

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188

मुकादमा नंबर 165/08

दिनांक 10.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट तूंगा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत तूंगा ने की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र पर सुना गया एवं राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट स्थल पर वाद के संबंध मे तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन किया। 2nd

contd.. 2

पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादीगण को वाद पत्र. पर सुनने एवं तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 201 रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 203 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा जिनके एकीकरण के दौरान नये खसरा नम्बर 36 रकबा 8 बिस्वा गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 41 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा एवं 28/762 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा कायम किये गये हैं जो ग्राम तूंगा तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के साबिक खसरा नम्बर 102 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा जिसके सम्वत 2015 में परिवर्तित खसरा नम्बर 204 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा बनाऐ गए, और खसरा नम्बर 204 की भूमि को एकीकरण के दौरान खसरा नम्बर 41 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा में शामिल किया गया तथा जिसके हाल बन्दोबस्त 11 जनवरी 2002 से 10 जनवरी 2022 के अन्तर्गत हाल खसरा नम्बर 507 रकबा 0.40 हैक्टेयर तो पृथक से बनाए है और शेष 0.53 हैक्टेयर भूमि को हाल खसरा नम्बर 514 के कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर दक्षिण की और पूर्व पश्चिम लम्बाई में शामिल किया गया है, उस हाल खसरा नम्बर 507 रकबा 0.40 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 514 के कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर मे से 0.53 हैक्टेयर दक्षिण की ओर पूर्व–पश्चिम की लम्बाई की कुल 0.93 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार काउण्टर क्लैमैण्ट को घोषित किया जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिदावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम मे स्थित उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे की भूमि राजस्व रिकार्ड मे माफी मन्दिर का रेफरेन्स दर्ज है जिसके रेफरेन्स की कार्यवाही राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारान को खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित नहीं समझते है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद एवं प्रतिदावाकर्ता का काउन्टर क्लेम विधि की मंशा के अनुकुल न होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 10.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट तूंगा में मजमें आम में सुनाया गया।

10.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अजलास

पीठासीन अधिकारी –दीपाली भगोतिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

मंदिर श्री सीताराम जी
विराजमान ग्राम तूंगा जरिये
वाद–मित्र पुजारीगणः–

1. राधामोहन (फौत)
   1/1 शंकुन्तला बेवा राधामोहन
   1/2 गोपाल पुत्र राधामोहन
   1/3 जितेन्द्र पुत्र राधामोहन
   1/4 मनिषा पुत्री राधामोहन
   1/5 अंजनी पुत्री राधामोहन
2. सूरजमल पुत्र श्रीनारायण
3. हरिशंकर दत्तक पुत्र नाथूलाल
4. रामबाबू पुत्र रूपनारायण
5. पूरणमल
6. रमेश पुत्र कन्हैयालाल
7. मूलचन्द (फौत)
   7/1 बजरंग लाल पुत्र मूलचन्द
   7/2 मंजू देवी पत्नि रामकिशोर
   7/3 अनुराधा पुत्री मूलचन्द
   7/4 मेनिका पुत्री रामकिशोर
8. ईसरमल (फौत)
   8/1 रामकल्याण पुत्र ईसरमल
   8/2 गोपाल पुत्र ईसरमल
   8/3 रामज्यानकी पुत्री ईसरमल
   8/4 बाई पुत्री ईसरमल
   8/5 विमला पुत्री ईसरमल
9. सत्यनारायण पुत्र छोटीलाल

समस्त जातियान ब्राह्मण स्वामी निवासीयान ग्राम तुंगा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. सुनील कुमार दत्तक पुत्र रामसहाय
2. नाथूलाल पुत्र विजयनारायण (फौत)
   2/1 श्यामलाल पुत्र नाथूलाल
   2/2 रिंकू पुत्र नाथूलाल
   2/3 कविता पुत्री नाथूलाल
   2/4 अनिता पुत्री नाथूलाल
3. जगदीश पुत्र भौंरीलाल (फौत)
   3/1 विष्णु पुत्र जगदीश
   3/2 हनुमान पुत्र जगदीश
   3/3 सुजी देवी पुत्री जगदीश
   3/4 निर्मला पुत्री जगदीश

   समस्त जाति ब्राह्मण स्वामी निवासी ग्राम वार्ड नं 12, सीतारामजी के मन्दिर के सामने ग्राम तूंगा, तह बस्सी जिला जयपुर।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी।

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188

मुकादमा नंबर 165/08

दिनांक 10.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिदावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम मे स्थित उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे की भूमि राजस्व रिकार्ड मे माफी मन्दिर का रेफरेन्स दर्ज है जिसके रेफरेन्स की कार्यवाही राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारान को खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित नहीं Ghd

contd... 2

समझते है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद एवं प्रतिदावाकर्ता का काउन्टर क्लेम विधि की मंशा के अनुकुल न होने के कारण खारिज किया जाता है।....................निजी..................मुबलिक. ....बाबत...खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.................. फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त..........................

ओहदा..........................

10.5.18

सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी